

**बिहार सरकार**  
**योजना एवं विकास विभाग**  
**(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)**  
**राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण में राज्य के उद्यमियों से सहयोग की अपील।**

बिहार राज्य के उद्यमियों को सूचित किया जाता है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (National Sample Survey) के 74वें सत्र का क्षेत्रीय कार्य 30 जून 2017 तक अनिवार्यतः सम्पन्न किया जाना है। सर्वेक्षण का मुख्य विषय "Enterprises Focussed Survey On Services Sector" है। इस विषय पर विहित प्रपत्रों में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के चिन्हित अन्वेषकों द्वारा चयनित Enterprises के आँकड़ें संग्रहित किए जायेंगे। उल्लेखनीय है कि सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2003 एवं उस पर आधारित सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के आलोक में आपके द्वारा आंकड़े उपलब्ध कराना बाध्यकारी है। इस संबंध में राज्यस्तरीय नोडल पदाधिकारी द्वारा नोटिस निर्गत किया जा चुका है। इन आँकड़ों का उपयोग मात्र सांख्यिकी प्रयोजन के लिए किया जाएगा। ये आँकड़ें आर्थिक बोझ या करारोपण का आधार नहीं बनेंगे।

सभी चयनित Enterprises के उद्यमियों से अनुरोध है कि इन आँकड़ों के संग्रहण हेतु आपके पास जाने वाले संबंधित अन्वेषकों को निर्भीक होकर अन्वेषकों को वर्ष 2015-16 का बैलेंस सीट/ बांछित सूचनाएँ अनिवार्यतः उपलब्ध करायेगें। आँकड़ों के संग्रहण हेतु विहित अनुसूची 2.35 के निर्दिष्ट स्थान पर स्वामी/प्राधिकृत प्राधिकार का मुहर सहित हस्ताक्षर अंकित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय महत्व के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।

15/1/17  
निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,  
बिहार, पटना।